भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5812
(जिसका उत्तर गुरुवार, 2 मई, 2013/12 वैशाख, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>आटो कंपनियों की गुटबंदी</u>

5812. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 17 आटो कंपनियों को गुटबंदी के सिलसिले में नोटिस जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : कतिपय कार निर्माता कंपनियों के विरूद्ध गैर-प्रतिस्पर्धी कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में दायर सूचना आयोग के विचाराधीन है।

(ग) : उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत गैर-प्रतिस्पर्धी कार्यप्रणाली जिसमें गुटबंदी शामिल है, में शामिल उद्‌यमों के विरूद्ध जुर्माना लगाने या 'समाप्ति और निषेध' आदेश जारी करने या दोनों लगाने की शक्ति प्राप्त है।

*****